माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट सोलन, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014

भाग—एक

1 प्रारम्भिकः—

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एव विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (C)(ii) के अन्तर्गत तथा वित्तायुक्त एवं सचिव (एल0ए0सी0) हिमाचल प्रदेश सरकार की विज्ञपति संख्याः भाषा (ए)(3)/85—पार्ट—II, दिनाँक 17.01.89 के अनुसार, हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं एवं पूर्व विनियासों के अंकेक्षण का दायित्व परीक्षक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौपे जाने के दृष्टगत, माँ शूलिनि माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन (हि0प्र0) के अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार मन्दिर आयुक्त, मन्दिर उपायुक्त एवं मन्दिर अधिकारी न्यास में कार्यरत्त रहेः—

मन्दिर आयुक्त	कार्यकाल	मन्दिर उपायुक्त	कार्यकाल	मन्दिर अधिकारी	कार्यकाल
श्री सी0पाल रासु	29-11-11 से 29-04-12	श्री आर के शर्मा	05-11 से 05-12	श्री धनवीर ठाकुर	09-09 से 18-08-12
श्रीमती मीरा मोहंती	30-04-12 से 01-07-13	श्री हरबंस सिंह नेगी	05-12 से 01-13	श्रीमती कविता ठाकुर	03-09-12 से 14-08-14
श्री मदन चौहान	02-07-13 से	श्री टसी संडूप	01-13 से 03-01-15	श्री जिया लाल चौहान	14-08-14 से

(ग) माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 में समाविष्ट मुख्य पैरों का सारः—

कमाक	पैरा संख्या	पैरे करष्शीर्ष	विवरण
1	9 (ग)	माता के छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं बारे	विवरण पैरे में दिया गया है
2	12	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां किये जाने बारे	विवरण पैरे में दिया गया है

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

मन्दिर न्यास के अवधि 01.01.2012 से31.12.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा माँ शूलिनी माता मन्दिर ट्रस्ट, के सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तुत जाँच हेतु माह 7/12, 6/13 तथा 6/14 एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/12, 8/13 तथा 6/14 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफो में समाविष्ट किया गया है।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाए जाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

मन्दिर न्यास के अवधि 1.01.2012 से 31.12.2014 के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹26000/—बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेश्क, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमालच प्रदेश, शिमला—9 को भेजने हेतु अनुभाग अधिकरी (ले0प्र0) के पत्र संख्या 07 दिनाँक 17.04.15 द्वारा मन्दिर ट्रस्ट से अनुरोध किया गया था तथा मन्दिर ट्रस्ट द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—09 को रेखाकित बैंक ड्राफ्ट संख्या "94153" दिनाँक 25.04.14 (Indus Land Bank) द्वारा कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः—

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत न्यास के अवधि 01.01.2012 से 31.12.2014 लेखों की वितीय स्थिति निम्नानुसार है, जिसका विस्तृत विवरण यथा **परिशष्ट "ख"** पर भी सलग्न है।

वर्ष	प्रारम्भिक ष्शेष	आय	ब्याज से आय	कुल योग	व्यय	अंतिम ष्शेष
1.01.12 से 31.12.12	1,40,83,136	45,32,705	14,21,734 (13,38,390+83,344)	2,00,37,575	50,47,806	1,49,89,769
1.01.13 से 31.12.13	1,49,89,769	38,87,551	14,20,451 (12,70,516+1,49,935)	2,02,97,771	12,53,869	1,90,43,902
1.01.14 से 31.12.14	1,90,43,902	52,71,213	18,32,207 (17,48,787+83,420)	2,61,47,322	18,59,673	2,42,87,649

अन्तशेष का विवरणः–	
दिनाँक 31.12.14 को बैक (बचत खाते) के अनुसार शेष **(परिशिष्ट "ख")**	17,03,694
दिनाँक 31.12.14 को सावधि खातों में जमा राशि **(परिशिष्ट "ख")**	2,25,83,361
दिनाँक 31.12.14 को हस्तगत रोकड़ शेष	594
दिनाँक 31.12.14 को बैक (बचत खाते) तथा सावधि जमा तथा हस्तगत के अनुसार शेष	2,42,87,649
दिनाँक 31.12.14 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष एवं रोकड़ बही, बैक (बचत खाते) तथा सावधि जमा के शेष में अतंर (1–5)	शून्य

5 बैक समाधान विवरणीः–

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई न्यास की दिनाँक 31.12.14 की बैक समाधान विवरणी **(यथा परिशिष्ट "ख–i")** पर संलग्न है।

6 सावधि जमा योजना से निवेशः–

मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 31.12.14 को किये गये सावधि जमा योजना में निवेश का विवरण यथा **(यथा परिशिष्ट "ख–ii")** पर दिया गया है।

7 बैंक खातों के रख–रखाव के बारे मेंः–

मन्दिर न्यास द्वारा दिनाँक 31.12.14 तक बघाट अर्बन कोपरेटीव बैंक, सोलन (हि0प्र0) में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 9 खाते खुलवा रखे थे। इस सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि सरप्सल फंडस का निवेश करते समय हि0प्र0 सरकार की पत्र संख्या फिन–आई0एफ (ए) 1–68/91–V, काईनैंस डिपार्टमेंट (आई.एफ) दिनाँक, शिमला–171002, 17. 04.14 में दिए गये निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 रोकड़ बही एवं रोकड़ सग्रह रजिस्टर के रख–रखाव बारेः–

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में दिनाँक 26.05.12 से 07.08.12 तक (पृष्ठ संख्या 91 से 94 तथा 127 इत्यादि पर) ओवर–राईटिंग तथा कटिंग्स की गई थी तथा इन ओवर राईटिगस/कटिंगस को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नही करवाया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं सम्बन्धित प्रविष्टियों को DDO से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में वाउचर संख्या अंकित नहीं की जा रही है। अतः रोकड़ बही में वाउचर संख्या का अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) वर्ष 2012 के पश्चात के रोकड़ सग्रंह रजिस्टर की पड़ताल पर पाया गया कि रजिस्टर में संलग्न पृष्ठों की कुल संख्या तथा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई भी करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 सोना एवं चांदीः–

(क) अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सोने एवं चांदी की स्थिति यथा परिशिष्ट "ग–1"तथा "ग–2" पर संलग्न है।

(ख) सोने एवं चांदी से सम्बन्धित अभिलेख का सही अनुरक्षण (maintainance) न करनाः–

सोने एवं चांदी के रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान 14.400 ग्राम सोने तथा 9.545 किलोग्राम चांदी की प्राप्ति दर्शाई गई थी, परन्तु यह प्राप्तियां किन किन तिथियों को किन रसीदों के अंतर्गत किस–किस स्वरूप में कितनी–कितनी मात्रा में प्राप्त की गई थी तथा किस प्रकार उपरोक्त सोने एवं चांदी की मात्राओं की गणना की गई थी, इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। परिणामस्वरूप सोने एवं चांदी की प्राप्त उपरोक्त मात्राओं के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उक्त प्रकार की अनियमितताओं बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु अभी तक इन्हें दूर करनें हेतु कोई भी कार्रवाई नही की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब इस बारे अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उक्त अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) माता के छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण कार्य से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "ग–1" तथा "ग–2"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा माता के चांदी के 9 छत्रों का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसके लिए 3.663 किलोग्राम चांदी जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त 34.850 ग्राम सोने की मात्रा भी चांदी से निर्मित उक्त छत्रों पर पोलिश करवाने हेतु जारी की गई थी। सोने के पोलिश करने के उपरान्त इन छत्रों का भार 3.684 किलोग्राम (2.053. 500 कि.ग्राम के 8 छोटे छत्र) +(1.630.500 कि0ग्राम का 1 बडा छत्र) दर्शाया गया था, जोकि जारी की गई चांदी की मात्रा से 21 ग्राम (3.684–3.663) अधिक है। इस से ऐसा प्रतीत होता है

कि सोने की जारी की गई मात्रा 34.850 ग्राम में से केवल 21 ग्राम का चांदी से निर्मित छत्रों पर पोलिश करने के लिए उपयोग किया गया था परन्तु शेष सोने मात्रा (34.850–21.000=13.850 ग्राम) के बारे में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त छत्रों के निर्माण हेतु जारी की गई चांदी की मात्रा में से वास्तव में कितनी Wastagee हुई, इस से सम्बन्धित भी सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किया गया, जिस कारण छत्रों के निर्माण कार्य के दौरान Wastage के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में चांदी के 9 छत्रों के निर्माण हेतु दर्शाई गई Wastege का पूर्ण विवरण तथ्यों सहित दिया जाए। इसके अतिरिक्त माता के दरबार के निर्माण हेतु दिनाँक 11.07.14 को 5.492 किलोग्राम चांदी तथा माता के चोम्बे के निर्माण हेतु दिनाँक 03.06.14 को 0.390 किलोग्राम चांदी कारीगरों को जारी की गई थी, जोकि उनके पास ही पडी थी क्योकि ये निर्माण कार्य अभी पुर्ण नहीं हुए थे यद्यपि इसके लिए काफी समय हो चुका है तथा ये कार्य अभी तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे।

(घ) चाँदी के 9 छत्रों के भार की मात्रा 3.684 को अन्तिम शेष में समिलित न करने के अतिरिक्त माता के दरवार के निर्माण हेतु जारी चाँदी की 5.492 कि0ग्राम तथा माता के चोम्बे के निर्माण हेतु जारी चाँदी की मात्रा 0.390 कि0ग्रा0 को कारीगरों से वापिस न लेने के कारण इन्हें अन्तिम शेष की मात्रा में समिलित न करनाः–

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग–1"तथा "ग–2"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी से प्रतीत होता है कि यद्यपि मन्दिर न्यास द्वारा तैयार करवाए गए चाँदी के 9 छत्रों के भार की मात्रा 3.684 ग्राम को **परिशिष्ट "ग–2"** पर दर्शाया गया है परन्तु चांदी के छत्रों के भार की उक्त 3.684 ग्राम की मात्रा को **परिशिष्ट "ग–1"** के चांदी के अन्तिम शेष मात्रा से सम्मिलित नही किया गया है, जिसे चांदी के अन्तिम शेष की मात्रा में सम्मिलित किया जाए। इसके अतिरिक्त चांदी से निर्मित मात्रा के दरबार एवं चोम्बे को भी शीघ्र सम्बन्धित कारीगरों से वापिस लेकर मन्दिर भण्डार में जमा करवाया जाए तथा माता के निर्मात छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के भार की मात्रा को अन्तिम शेष में दर्शाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ड़) माता के छत्र, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण हेतु नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक चांदी का उपयोग/जारी करनाः–

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवंम विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12–ए (2)(B) (i) के प्रावधानानुसार मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न कार्य करवाने हेतु चांदी की उपलब्ध मात्रा का 20% ही उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा, उक्त प्रावधानानुसार केवल 7.890 किलोग्राम (39.448.600 किलाग्राम का

20%) चांदी का ही उपयोग किया जा सकता था, परन्तु न्यास द्वारा **(परिशष्ट "ग–1"तथा "ग–2")** के अनुसार इन कार्य हेतु 9.545 किलोग्राम चांदी जारी की गई थी, जोकि निर्धारित सीमा से 1.655 किलोग्राम (9.545–7.890) अधिक है। अतः माता के छत्रों, दरबार तथा चोम्बे के निर्माण हेतु निर्धारित सीमा से 1.655 किलोग्राम अधिक जारी की गई/उपयोग की गई चांदी बारें स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(च) हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवंम विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12–ए (2)(B) (iii) के प्रावधानों को लागू न करनाः–

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवंम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12–ए (2)(B) (iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्वालुओं को वर्तमान मुल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय/लाभों से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब उकत अन्य प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(छ) हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवंम विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 12–ए (ii) के प्रावधानों को लागू न करनाः–

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवंम विन्यास अधिनियम, 1984 की एक्ट की धारा 12–ए (ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था, जिसके कारण जहाँ न्यास एक्ट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहा है वहीं इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली आय से भी वंचित होना पड रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10 रसीद बुकस के इस्तेमाल में हो रही अनियमितताओं बारेः–

आय की पड़ताल के दौरान रसीद बुकों के इस्तेमाल में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा तैयार किए गए रसीद स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि इस रजिस्टर का अनुरक्षण सही प्रकार से नही किया जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर के पृष्ट संख्या 1 से 8 में न तो रसीद बुकों के आरम्भिक शेष को दर्शाया गया था और न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान कितनी रसीद बुकें कब–कब छपवाई गई तथा किस–किस तिथि को जारी की

गई इत्यादि, से सम्बन्धित कोई भी विवरण दर्ज था तथा न ही रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों एवं विभिन्न मूल्यवर्ग (denomination) की रसीद बुकों के दर्शाए गये शेषों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था।

(ख) अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि रसीद बुकों के आरम्भ में रसीद बुक में संलग्न रसीदों की संख्या को भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया जा रहा था। इस प्रकार की अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	**चयनित माह**	**रसीद संख्या**	**रसीद बुक का शीर्ष**
1	07/12	201 से 300	1000
2	06/13	301 से 400	1000
3	06/14	501 ये 600	1000
4	07/12	201 से 300	501
5	06/13	1201 से 1300	101
6	06/13	601 से 700	51
7	06/14	901 से 1000	51

अतः मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्तर पर रसीद बुकस के स्टॉक की विस्तृत पड़ताल करके तथा उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार कृत कार्रवाई के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

11 गल्ले से प्राप्त आय को सत्यापित न करवाने बारेः–

चयनित मासों में प्राप्त आय की पडताल के दौरान पाया गया कि निम्न प्रकरणों में गल्ला खोले जाने पर प्राप्त आय को उस समय वहां उपस्थिति सभी सदस्यों से हस्ताक्षर प्राप्त करके सत्यापित नहीं करवाया गया था। उक्त सत्यापन के अभाव से प्राप्त आय के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

दिनाँक/माह	**गल्ला रजिस्टर की पृष्ठ संख्या**	**प्राप्त आय**
02.07.12	105/106	7,08,352
19.06.13	119/120	2,44,231
27.06.13	यथोपरि	6,52,953
18.06.14	133/134	2,11,535
25.06.14	135/136	7,17,490

12 सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां किये जाने बारेः–

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3 सहपठित धारा 5(4) के अनुसार दैनिक भोगियों कर्मचारियों की नियुक्तियों से सम्बन्धित शक्तियाँ केवल हि0प्र0 सरकार व मुख्य आयुक्त (मन्दिर) के पास निहित है जिसके अनुसार मन्दिर ट्रस्ट में स्टाफ की भर्ती सरकार की अनुमति/आदेशों के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी। मन्दिर न्यास द्वारा **परिशिष्ट "घ–1"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दैनिक भोगियों कर्मचारियों जिनकी नियुक्तियाँ वर्ष 2005 तथा 2006 में की गई थी, को अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹6,72,030 दैनिक वेतन का भुगतान किया गया थाः–

वर्ष	**राशि**
2012	191430
2013	219000
2014	261600
कुल योग	**₹6,72,030**

उपरोक्त दैनिक भोगी कर्मचारियों जिनको यह दैनिक वेतन का भुगतान किया गया था, उनकी नियुक्तियों किये जाने से सम्बन्धित सरकार की अनुमति गत अंकेक्षण के दौरान भी नही दर्शाई गई थी तथा बिना सरकार की पूर्व अनुमति के यह नियुक्तियां किये जाने के कारण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्यां 6(ख) के अन्तर्गत भी इस बारे आपति उठाई गई थी, परन्तु फिर भी इन नियुक्तियों से सम्बन्धित सरकार की अनुमति नहीं दर्शाई गई तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक यह अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 सरकार की अनुमति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि दैनिक भोगियों को किये गये उपरोक्त भुगतान को उचित ठहराया जा सके।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान भी मन्दिर न्यास द्वारा की गई नियुक्तियों से सम्बन्धित **परिशिष्ट "घ–2"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री चन्द्र शेखर की लेखापाल के पद ₹5000 प्रति मासिक के वेतन पर दिनाँक 01.02.2014 से नियुक्ति की गई थी तथा उनके वेतन को माह अगस्त/2014 से ₹6000 प्रति मासिक कर दिया गया था, परन्तु बार–2 आग्रह करने पर भी उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनकी नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त ही नहीं की गई थी। अतः इस अनियमितता बारे भी स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा

माह 2/14 से 12/14 के दौरान उन्हें किये गये ₹60,000 के वेतन के भुगतान, जिनका विवरण **परिशिष्ट "घ–2"** पर दिया गया है, को उचित ठहराया जा सके।

13 बजट को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही मन्दिर न्यास निधि से ₹81,61,348 का व्यय करनाः–

हि0प्र0 हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रवन्ध कोष समिति से अनुमोदित करवाना अपेक्षित होता है, परन्तु इस बारे चर्चा पर अवगत करवाया गया कि वार्षिक बजट आयुक्त एवम प्रवन्ध कोष समिति से अनुमोदित नही करवाया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹81,61,348 का व्यय बिना बजट के अनुमोदन से किया गया जिसे अब सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्ति करके अनुमोदित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाये।

वर्ष	**कुल व्यय**
2012	50,47,806
2013	12,53,869
2014	18,59,673
कुल योग	**₹81,61,348**

14 हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को किये गये ₹77,00,800 के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारेः–

निम्नानुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को माता शूलिनी माता मन्दिर से साथ भवन निर्माण हेतु दिनाँक 16.2.12 को ₹10,00,000 तथा ₹26.5.12 को ₹32,00,800 का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की पैरा संख्या 13 के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को इसी कार्य हेतु दिनाँक 4.11.09 को ₹10,00,000 तथा दिनाँक 26. 02.11 को ₹2500000 का भुगतान किया गया था, परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में किए गए कुल ₹77,00,800 के भुगतान से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त नही किए गए है। अतः इस राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क0सं0	**चैक संख्या/दिनाँक**	**राशि**
1	002130, 04/11/09	10,00,000
2	036590, 26/02/11	25,00,000
3	032339, 16/02/12	10,00,000
4	039288, 26/05/12	32,00,800
	कुल योग	**₹77,00,800**

15 सविदाकर को दैनिक मजदूरी की ₹3050 का अधिक भुगतान करना:—

व्यय की पडताल के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा श्री शलैन्द्र से मन्दिर के पेंट इत्यादि का कार्य करवाया गया था। मन्दिर के पेंट के कार्य की समाप्ति पर संविदाकार द्वारा मन्दिर के पेंट के कार्य में कार्यरत व्यक्तियों की दिहाडियों से सम्बन्धित जो दस्तावेज/बिल प्रस्तुत किए गए, उनका विवरण मन्दिर न्यास द्वारा **परिशष्ट "ड"** पर प्रस्तुत किया था, जिसकी पडलात के उपरान्त पाया गया कि सविदाकार को निम्नानुसार ₹3050 की दिहाडीयों का अधिक भुगतान किया गया था:—

माह/राशि	कारीगर का नाम	अवधि जिसके लिए भुगतान किया गया दर्शाया गया।	जितने दिनों का भुगतान किया गया दर्शाया गया था।	इस अवधि के लिए जितने दिनों का भुगतान बनता था।	जितने अधिक दिनों का भुगतान किया गया था।	मजदुरी की दर	अधिक किया गया अनुचित भुगतान
06/2014 /52,000/— [5000 (22.06.14)+47000(24.6.14)] - (कार्य पर अभिलेखानुसार कुल ₹92,000 व्यय आया था जिसमें से ₹40000 का भुगतान पहले कर दिया गया था।	श्री सुरज (मिस्त्री)	20.05.14 से 19.06.14	35	31	4	450	1800
	श्री अखिलेश (मिस्त्री)	20.05.14 से 19.06.14	33	31	2	450	900
	श्री भिन्नु (मजदूरी)	20.05.14 से 19.06.14	32	31	1	350	350
						कुल योग	**₹3050**

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के ध्यान में यह अनियमितता लाये जाने पर मन्दिर न्यास द्वारा सम्बन्धित संविदाकार से ₹3050 की वसूली, रसीद संख्या 3401 दिनाँक 26.03.15 द्वारा करके बैंक खाता संख्या 14447 में दिनाँक 27.03.15 को जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए।

16 दैनिक वेतन की ₹300 का अधिक भुगतान करना:—

वाउचर संख्या शुन्य दिनाँक 03.06.14 ₹23.600, रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 138

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार श्रीमती कुसुम (सफाई कर्मचारी) दिनाँक 20/5/14 तथा 21.05.14 को अनुपस्थित थी, परन्तु उन्हें माह 5/14 में पूरे माह के दैनिक वेतन का भुगतान (150X31= ₹4650) किया गया था, जबकि कार्य पर उपस्थिति के अनुसार उन्हें (150 X29=₹4350) ही देय थे। इस प्रकार उन्हें ₹4650–₹4350= ₹300 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपयुक्त स्त्रोत से ₹300 की वसूली करके तथा मन्दिर न्यास निधि में जमा करवा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरक्त उपरोक्त दो दिनों को अनुपस्थिति के मध्यनजर को उनको मिलने वाले आगामी रविवार के अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

17 राजकीय मुद्रणालय शिमला से मुद्रण कार्य न करवाकर खुले बाजार से मुद्रण का कार्य करवानाः–

लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर ट्रस्ट द्वारा निम्नानुसार आमन्त्रण पत्र एवं हैड बिल्स के मुद्रण का कार्य हिमालच प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर खुले बाजार से करवाया था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त नहीं किया था, जोकि निर्देशों के प्रतिकूल है। अतः मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से न करवाकर खुले बाजार से करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

फर्म का नाम	रसीद/बिल संख्या/दिनाँक	विवरण	रोड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि
मैसर्ज सहगल प्रिटर्स एंड पैकर्स, सोलन	(i) 1835 दिनाँक 19.06.12 ₹11130 (ii)1834 दिनाँक 19.06.12 ₹36949	आमन्त्रण पत्र तथा हेंड बिल्स कि प्रिंटिंग	96	7/12	48,079

18 नियमानुसार codal formalities पूर्ण किये बिना ही क्रय किये जाने बारेः–

(क) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वस्तुओं के क्रय से पूर्व अवतरणें (quotations) आंमत्रित नहीं की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त रेगुलेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए(3) 5/2005, शिमला–171002 दिनाँक 12.8.09 के नियम 97 तथा 98 के निर्देशानुसार ₹3000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं का क्रय अवतरणों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि जिन प्रकरणों में अवतरणें प्राप्त की भी गई थी वहां भी वस्तुओं के क्रय के करते समय उक्त नियमानुसार विहित प्रक्रिया, जैसे कि अवतरण संग्रह करने के लिए समिति का गठन किया जाना, सीलबंद अवतरण प्राप्त करना, अवतरण खोले जाने पर क्रय समिति सदस्यों द्वारा सत्यापन किया जाना इत्यादि, अपनाई नही गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इस अनियमितता को नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वस्तुओं का क्रय नियमानुसार सम्पूर्ण विहित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	फर्म/व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किया गया	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	टिप्पणी
1	मैसर्ज़ सहगल पिंटर्स एंड पैकर्स, सोलन	आमन्त्रण पत्र तथा हेंड बिल्स की प्रिंटिंग (11,130+ 36,949)	96	7/12	48,079	नियमानुसार क्रय करने से पूर्व विहित प्रक्रिया जेसे कि क्रय समिति का गठन करना, क्रय समिति द्वारा अवतरण एकत्रित करना, अवतरणों का खोले जाने पर उनका सत्यापन करना, तुलनात्मक विवरणी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन करना आदि नही अपनाई गई थी।
2	विनय ट्रेडर्स सोलन।	भंडारे हेतु विभिन्न खादय सामग्रीयों के क्रय हेतु किया गया भुगतान।	113	8/13	1,51,733	अवतरणें प्राप्त नहीं की गई थी।

		(38,634+51242+ 8568+53289				
3	आल टाइम एजेन्सी सोलन।	पॉलिश से सम्बनिधत वस्तुओं के क्रय के लिए भुगतान।	138	6/14	42,950	यथोपरि
4	श्री पुर्ण सिंह	माता का छत्र बनाने हेतु किया गया मजदूरी कार्य पर आया कुल व्यय का भुगतान (30,000+7,310)	140 तथा 144	6/14	62,310	यथोपरि
5	श्री रूपी लाल	लकड़ी की बल्लियों को किन्नौर से सोलन तक लाने हेतु किया गया किराए का भुगतान	141	6/14	6000	यथोपरि
6	श्री नन्द राम	ढोल, नगाड़े आदि बजाने हेतु किया गया भुगतान	142	6/14	5000	यथोपरि
7	श्री मनसा राम	लकडी की चिराई आदि हेतु किया गया भुगतान	144	6/14	5000	यथोपरि
8	श्रीमती मीना देवी।	कारीगरों के खाने के बिल का किया गया भुगतान	144	6/14	3900	यथोपरि
9	मैडर्ज आल टाइम एजेन्सीस सोलन।	पेंट के सामान के क्रय हेतु किया गया भुगतान (48,860+48,050)	144	6/14	96,910	यथोपरि
10	श्रीष्शलेंदर सिंह	मन्दिर के पेंट के कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान (10000+ 30000+5000 +47000)	138,141, 143 तथा 144	6/14	92000	यथोपरि
11	रूपी लाल	माता की डोली बनाने हेतु किया गया मजदूरी का भुगतान। (कार्य पर आया कुल व्यय) 36,936 (माह के दौरान किया गया व्यय) (5000+20000+1500+10436)	139,140, 143 तथा 143	6/14	41,936	यथोपरि
			कुल योग		**5,55,818**	

(ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रम संख्या 10 तथा 11 पर किए गए व्यय की पडताल के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा इन कार्यो हेतु ₹1,33,936 का भुगतान कार्य के समापन पर किया गया था, परन्तु कार्यो की समाप्ति पर संविदाकारों/कारीगरों द्वारा प्रस्तुत किये गये अंतिम भुगतान से सम्बन्धित बिलों/रसीदों, जिनका विवरण **परिशिष्ठ "ड"** में दिया गया है, पर सम्पूर्ण विवरण, जैसे कि यह कार्य कब–कब करवाए गए, इन कार्यो में कार्यरत रहे व्यक्तियों का तिथिवार विवरण इत्यादि क्या था, को दर्ज नही था तथा मन्दिर न्यास द्वारा अधूरे बिलो/रसीदों के आधार पर करवाए गये कार्यो की सही मात्रा की पुष्टि किये बिना ही भुगतान कर दिए गए थे। अतः बिलों/रसीदों पर उपरोक्त विवरण न होने के कारण किये गये इन भुगतानों के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इन प्रकरणों में न्यास द्वारा अपने स्तर पर छानवीन करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

फर्म/व्यक्ति का नाम जिसे भुगतान किया गया	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	विवरण
श्री शलेंदर सिंह	138,141 तथा 143	6/14	92000	मन्दिर भवन में पेंट का कार्य करवाए जाने हेतु किया गया मजदूरी का भुगतान (10000+30000+5000+47000)
रूपी लाल	139, 140 तथा 143	6/04	41,936	माता की डोली बनाने हेतु किया गया मजदूरी का भुगतान – कार्य पर आया कुल व्यय (5000+20000+1500+10536 = 36,936)
	कुल योग		**1,33,936**	

19 बिलों/कैश मेमों पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र न दिए जाने बारेः–

चयनित मासों में व्यय की पडताल के दौरान पाया गया कि अधिकतम बिलों/कैश मैमों पर हिमाचल प्रदेश सरकार, फाईनैन्स रेगुलेशन डिपार्टमैन्ट की अधिसूचा संख्या फिन 9(सी)ए(3) 5/2005, शिमला–171002 दिनाँक 12.8.09 के नियम संख्या 97 तथा 98 के अनुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे है, जोकि सरकारी निर्देशों की अवहेलना हैं। अतः इस वारे स्थिति स्पष्ट की

जाए तथा उपरोक्त नियमों में दिए गए निदेशों की नियमित रूप से अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 बिलों/कैंश मैमों के बिना भुगतान किये जाने बारेः—

व्यय की पडताल के दौरान पाया गया निम्नलिखित प्रकरणों में मन्दिर ट्रस्ट द्वारा बिना बिलों/कैश मेमों के ही भुगतान कर दिए थे, जबकि नियमानुसार बिलों/कैश मैमों के बिना कोई भी भुगतान नही किया जा सकता हैं। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अनुपालना से अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

फर्म/व्यक्ति का नाम	कय की गई वस्तुओं का विवरण।	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	टिप्पणी
श्री रूपी लाल	दो व्यक्तियों के किराए का ₹500 प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान किया गया था।	143	6/14	1000	बिल/वाउचर की कुल ₹41,936 के साथ ₹1000 बस किराये की टिकटें संलग्न नही पाई गई, जिसका भुगतान श्री रूपी लाल को किया गया था।
श्री रूपी लाल	माता की डोली के लिए की संजावट के लिए लकडी के 210 झूमर @ 30 प्रति झूमर क्ति की दर से कय किये गये लकडी के झूमर।	143	6/14	6300	बिल/वाउचर की कुल ₹41,936 के साथ झूमर के कय से सम्बन्धित बिल संलग्न नहीं था, जिसका भुगतान श्री रूपी लाल को को किया गया था।
श्री पूर्ण सिंह	माता के छत्र बनाने हेतु पारे (mercury) का कय किया गया था।	140	6/14	1800	बिल/वाउचर की कुल ₹62,310 के साथ पारे के कय किये जाने से सम्बन्धित बिल संलग्न नहीं था, जिसका भुगतान श्री पूर्ण सिंह को किया गया था।

21 सक्षम प्राधिकारी/DDO द्वारा बिलों को पारित किए बिना ही भुगतान किये जाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में वाउचर DDO द्वारा बिलों/ को पारित किए बिना ही भुगतान कर दिया गया था, जोकि अनियमित है। अतः इस अनियमितता

बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

फर्म / व्यक्ति का नाम	विवरण	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि	टिप्पणी
दैनिक भोगियों को भुगतान।	दैनिक वेतन का भुगतान।	96	7/12	18,030	बिल पर DDO का पारित आदेश नही था।
होम गार्डस को भुगतान।	दैनिक वेतन का मासिक भुगतान।	96	7/12	14,400	यथोपरि
मैसर्ज सहगल प्रिंटर्स एंड पैकर्स, सोलन	आमन्त्रण पत्र तथा हेंड बिल्स कि प्रिंटिंग हेतु।	96	7/12	48,079 (11,130+36,949)	यथोपरि
विनय ट्रेडर्स सोलन।	विभिन्न खादय सामग्रियों हेतु किया गया भुगतान।	113	8/13	8,568	यथोपरि
दैनिक भोगियों को भुगतान।	दैनिक भोगियों का मासिक भुगतान।	113	8/13	18,600	यथोपरि

22 स्टोर/स्टॉक तथा अन्य रजिस्टरों के रख–रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएः–

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक से सम्बनिधत अभिलेख के रख–रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) स्टोर/स्टॉक रजिस्टर्ज में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टयाँ स्टोर/स्टॉक/खादय सामग्री रजिस्टर्ज में नहीं दर्शाई गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। यह प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अन्य मासों में क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टयाँ भी रजिस्टर्ज में न की गई हो, इस सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अब इन प्रकरणों के अतिरिक्त इस प्रकार से अन्य समस्त प्रकरणों में भी नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का अनुरक्षण करके आगामी अंकेक्षण पर अभिलेख प्रस्तुत किये जाने सुनिशचित किए जाए।

फर्म का नाम	क्रय की गई वस्तुओं का विवरण	रोकड बही पृष्ठ संख्या	माह	राशि
मैसर्ज सहगल प्रिंटर्स एड पैकर्स, सोलन	आमन्त्रण पत्र तथा हेंड बिल्स (11,130+36,949)	96	7/12	48,079
विनय ट्रेडर्स सोलन।	माता के भंडारे हेतु विभिन्न खादय सामग्रियां	113	8/13	38,634
यथोपरि	यथोपरि	113	8/13	51,242
यथोपरि	यथोपरि	113	8/13	8,568
यथोपरि	यथोपरि	113	8/13	53,289
आल टाइम एजेन्सी, सोलन।	पोलिश/पेंट से सम्बनिधत विभिन्न वस्तुएं	138	6/14	42950
नगर मल एड सन्स सोलन।	हार्डवेयर की आइटम्स हेतु	139	6/14	360
यथोपरि	यथोपरि	139	6/14	367
यथोपरि	यथोपरि	140	6/14	221
विभिन्न विक्रेताओं से क्रय	श्री अनुप (सेवादार) द्वारा अग्रिम ली गई ₹1500 से मन्दिर से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं का ₹1503 में क्रय किया गया था, जिसमें ₹3 का भुगतान उन्हें बाद में किया गया था। (1500+3)	140 तथा 145	6/14	1503
नागर मल एडं सन्स, सोलन।	ब्रश आदि	142	6/14	63
मैसर्ज विश्व करमा फर्नीचर सोलन।	टेबल	144	6/14	1950
मैसर्ज आल टाइम एजेन्सी, सोलन।	पेंट का सामान	144	6/14	48860
यथोपरि	यथोपरि	144	6/14	48050
कुल योग		**कुल योग**		**3,44,137**

(ख) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करवाए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पडताल हेतु प्रस्तुत नही किये गए। इससे यह प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास द्वारा नियमानुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया ही नही जा रहा है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, क्योकि हिमाचल प्रदेश सरकार (वित रेगुलेशन विभाग) की अधिसूचना संख्या फिन (सी)ए (3) 5/2005 शिमला–171002 दिनाँक 12.8.09 के नियम 140 तथा 141 में दिए निर्देशों तथा प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक वर्ष में प्रतयक्ष सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में

न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओ का समय पर नियमानुसार निस्तारन (dispsal) किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 तथा इस बारे आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विभिन्न रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज न किये जाने बारेः–

मन्दिर न्यास के विभिन्न रजिस्टरों की पड़ताल करने पर पाया गया किसी भी रजिस्टर को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नही किया गया था, जोकि नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है, ताकि मन्दिर न्यास में प्रयोग में लाये जा रहें विभिन्न रजिस्टरों की सत्यता प्रमाणिक की जा सके तथा मन्दिर न्यास में प्रयोग में लायें जा रहे सभी रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। अतः मन्दिर न्यास की सभी रोकड़ बहियों, स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(घ) चल व अचल सम्पति के अभिलेख बारेः–

मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक मन्दिर न्यास की चल अचल से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नही किया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 मन्दिर न्यास की चल अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण तैयार करके तथा सक्षम प्राधिकारी के सत्यापन के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ड) अग्रिम रजिस्टर तथा कटीजेंट व्यय रजिस्टर का रख–रखाव न करनाः–

मन्दिर न्यास द्वारा अग्रिम रजिस्टर (advance register) तथा कंटीजेंट व्यय रजिस्टर (Contingent expenditure regidter) का रख रखाव नही किया जा रहा था। अतः इन रजिस्टरो का रख रखाव किया जाना आरम्भ किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(च) दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी का भुगतान नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर नही किया जा रहा है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन की पैरा संख्या 18 बारे भी इस अनियमितता बारे आपत्ति उठाई गई थी, परन्तु अभी तक इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई नही की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के

साथ–2 भविष्य में दैनिक भोगी कर्मचारियों का भुगतान निर्धारित प्रपत्र पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 **लधु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्षः–** लेखों में रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा विभिन्न वस्तुओं के क्रय से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाया जाना भी अपेक्षित है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकनसंख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)295/12खण्ड–1–4052–4056दिनांक 16.07.15 शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1. तहसीलदार एवं मन्दिर अधिकारी, माँ शूलिनी मन्दिर ट्रस्ट सोलन, जिला सोलन, (हि0प्र) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को भेजे।

2. उपायुक्त सोलन, जिला सोलन हि0प्र0
3 विशेष सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति) विभाग हि0प्र0 सरकार शिमला–2
4 निदेशक, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला–9
5 श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा...................................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क"

अवधि 5.10.05 से 31.12.11 – पैरा संख्यां 1 "घ"

क्रम संख्या	पैरा संख्या		टिप्पणी
1	3 (क)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
2	3 (ख) (i)(ii), (iii),(iv)	अनिर्णीत	
3	4 (क),(ख),(ग)	अनिर्णीत	
4	5	अनिर्णीत	
5	6 (क),(ख)	अनिर्णीत	
6	7 (क),(ख),(ग),(घ)(ड)(च)(छ) (i),(ii), (ज)(i),(ii),	अनिर्णीत	
7	8	अनिर्णीत	
8	9	अनिर्णीत	
9	10	अनिर्णीत	
10	11 (क),(ख)	अनिर्णीत	
11	12 (क),(ख)	अनिर्णीत	
12	13	निर्णीत	(पैरे को वर्ष 2012–14 से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित कर दिया गया है)
13	14	अनिर्णीत	
14	15	अनिर्णीत	
15	16	अनिर्णीत	
16	17	निर्णीत	(प्रस्तुत प्रतिउत्तर के दृष्टगत पैरा समाप्त)
17	18	अनिर्णीत	
18	19	अनिर्णीत	